प्रति,
श्री चेयरमेन महोदय,
ट्राई
दूर संचार भवन, नईदिल्ली

विषय : **प्रसारकों से प्लेटफार्म आपरेटरों पर टी.वी. चैनल के वितरण पर जारी परामर्श।**

महोदय,

हम आपको इस परामर्श पत्र निकालने के लिये साधुवाद देते है। ट्राई द्वारा उठाये गये मुद्दों से हम सहमत है क्योकि यह वक्त की आवश्यकता है। इसके अमल में आने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी ही।

हमारा यह मानना है इन मुददों पर ट्राई सरकार को अपनी अनुशंसा दे सकते है :

1. कोई भी प्रसारक दूसरे प्रसारक के लिए अधिकृत डिस्ट्रीब्युशन एजेन्ट नहीं बन सके।
2. कोई भी डिस्ट्रीब्युशन प्लेटफार्म आपरेटर (डी.टी.एच., एम.एस.ओ. एल.सी.ओ. एवं डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म का एजेन्ट किसी प्रसारक का अधिकृत डिस्ट्रीब्युशन एजेन्ट नहीं हो।)
3. प्रसारक द्वारा नियुक्त किये गये डिस्ट्रीब्यूशन एजेन्ट की कम्पनी में किसी प्रसारक या डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म जैसे डी.टी.एच., एम.एस.ओ एवं एल.सी.ओ.एवं एल.सी.ओ. का कोई स्टेक न हो।
4. आपके परामर्श पत्र का प्वाईन्ट नंबर 15 आप अपने अनुशंसा में अक्षरशः शामिल कर सरकार के पास भेजे और इसे लागु करवाने की कृपा करें।
5. प्रसारकों के लिए जरूरी है कि उनके चैनलों की संख्या पर रोक लगायी जावें। इसके लिए अपलिकिंग एवं डाउनलिंकिंग के नियमों में संशोधन किया जाए वरन देशभर में अधिग्रहण एवं विलय की प्रक्रिया जोर पकड लेगी इसमें जहां एकाधिकार का खतरा बढ जाएगा वहीं प्रसारक ही चैनल वितरक का कार्य करने लगेगें।

भवदीय
प्रदीप शर्मा, महेश यादव, राहुल रावत, अजीतसिंह बावेजा, दिलीप जैन, संतोष मालवीय इकबाल खान, एवं समस्त सदस्यगण देवी अहिल्या केबल आरपेटर एसोसिएशन,
इन्दौर (म.प्र.)